FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

बाअदालत...मुकाम..

.......................कन्हैया लाल वगै0 ....बनाम ....जितेन्द्र कुमार...........

....

मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 225..............नं.........27..........सन्....202..

हुक्म 022	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस मे कथन किया कि यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास के आदेश दिनांक 26.05.2021 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी कन्हैयालाल के दिनांक 26.05.2021 तक इस कदर जारी की गई कि ग्राम बाढ कोयला तहसील बामनवास की हाल आराजी खसरा नम्बर 90 कुल किता 01 रकबा 0.64 हैक्टेयर में सायल के हिस्से एक की भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। जो आदेश पारित किए गए है उनसे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है।

क्योंकि कि आराजी खसरा नम्बर 90 अपीलार्थी कन्हैयालाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है फिर भी मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास द्वारा बिना सुने, बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर विधि विरूद्ध कार्य किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.05.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि मातहत अदालत द्वारा दिनांक 26.05.21 को पारित किया गया आदेश पूर्ण रूप से सही फरमाया गया है। क्योंकि अपीलांट विवादित आराजीयात को खुर्द-बुर्द, रहनवय करने पर आमादा है। यदि विवादित आराजीयात की यथास्थिति नही रखी गई तो वादी/रेस्पों0 के हित प्रभावित होगें। अदालत मातहत द्वारा सही रूप से आदेश पारित किया गया है अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2021 का अवलोकन किया गया।

बहस पर मनन किया गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया, रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलांट 01 कन्हैया, विवादित आराजीयात वाके ग्राम बाढ़कोयला तहसील वामनवास के खसरा नम्बर 90 रकबा 0.64 हैक्टेयर का तन्हा खातेदार है। अपील मीमों के अनुसार रेस्पोडेन्ट 01 अपीलांट संख्या 01 का पुत्र है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व विपक्षीय पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। परन्तु पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकती है। यदि प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाए तो प्रार्थी के पक्ष मे ऐसे आदेश जारी किए जा सकते है, यह भी कि ऐसे आदेश जारी करने हेतु प्रकरण कि **अत्यंन्त आवश्यकता** एवम् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का विवेचन किया जाना अनिवार्य है। आलौच्य आदेश मे इस प्रकरण का कोई साक्ष्य व विवेचना का अंकन नही है।

प्रकरण की अत्यंन्त आवश्यकता का परीक्षण उभयपक्षकारान को बहस के पश्चात् ही तय किए जा सकेगें। पत्रावली के अवलोकन पर पायागया कि पत्रावली में ऐसे कोई साक्ष्य दस्तावेज उपलब्ध नही है, जिनके आधार पर मेरिट के आधार पर पत्रावली को निर्णित किया जा सके।

अतः पत्रावली को बिना कोई गुणावगुण के आधार पर निर्णित किए अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में 01 माह की अवधि में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि अपना पक्ष रखने हेतु अदालत मातहत में 29.12.22 को अदालत मातहत में उपस्थित होवें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें। पत्रावली को इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner